

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा0पत्र / 15 / 2024

राज.सरकार जसिये गुरप्रीत सिंह प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद कार्यालय  
भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री आकाश मदेरणा पुत्र चन्द्रशान निवासी रहीमपुर उच्चैन भरतपुर जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम  
1955, सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण  
का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :-

1-पैरोकार सरकार रसद

निर्णय

दिनांक 13-11-2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.9.2024 को जिला रसद अधिकारी के निर्देशों की पालना में रंनजीत नगर स्थित पंचायत कैफे पर पहुंचे कर जांच की गई, मौके पर कैफे पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपभोग रेग्यूलैटर नली व चूल्हे के माध्यम से किया जाना पाया गया। अप्रार्थी के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण एक घरेलू गैस सिलेण्डर को बज़ह सबूत जप्त किया गया। जप्त किये गये उक्त गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेसपो को नोटिस धारा 6वी ई0सी0 एक्ट जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आया। बाद में अप्रार्थी वावजूद सूचना उपस्थित नहीं आया है ऐसी स्थिति में पैरोकार सरकार रसद की इकतरफा में वहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यक गतिविधि के लिये कर रहा था। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन होने के कारण एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

.....2  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

(2)

प्रा0पत्र/15/2024

प्रवर्तन निरीक्षक एसड बनाम आकाश मदेशना

पन्नावली का अवलोकन किया पैसेकार सरकार के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी से गोके पर घरेलू गैस शिलेण्डर से अवैध रूप से एलपीजी गैस का उपयोग कैंफे पर वाणिज्यिक गतिविधि के लिये करता पाया गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य दूधित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण एक घरेलू गैस शिलेण्डर मय एलपीजी राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट रद्दीकार किया जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनागुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट रद्दीकार किया जाता है। गोके पर जाप्त एक घरेलू गैस शिलेण्डर मय एलपीजी को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला एसड अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जाप्त एक घरेलू गैस शिलेण्डर आईओसीएल कम्पनी में जमा करावें तथा खाद्य एवं नागरिक एसड विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0/6/89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी/आयल कम्पनी गैस शिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को सुनाया गया।

( डॉ. अमित यादव )  
जिला कलक्टर,  
भरतपुर